

उद्यम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक: अधिविधिति/व.ले.अ/अ.सं./ प्रे० 600

दिनांक 11-10-2000

आदेश

विषय:- बड़े जुये भार की स्वीच्छक रीक्षण ।

पूर्व में रा०रा०वि०म० द्वारा अगस्त में कृषि क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बड़े जुये लोड की 31-7-2000 तक स्वीच्छक चीज पर करने पर कई शिकायतों की गई थी । इससे कृषि उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली । अब उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना को पुनः लागू करने की मांग की जा रही है ।

अतः कृषकों एवं जन-प्रतिनिधियों की उक्त मांग को मध्य-नगर रखते जुये उद्यम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में इस विषय पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि इस योजना को 31-12-2000 तक बढ़ा दिया जाये ।

उक्त निर्णयानुसार दिनांक 31-12-2000 तक यह छूट दी जा रही है कि जो कृषक अपने बड़े जुये लोड की स्वयं छीजना लगेगा, उतने मात्र 700/- रुपात सीमा रूपमें प्रति-घंटे मातर ३अवम शक्तिसे जिहसे परिष-कनेकशन चार्जस सहितके हिसाब से चार्ज किये जायेंगे । इसपर सब हीसे पर चर्चा के नीचे लाईन एवं सब प्रेशर का खर्च उद्यम-विद्युत वितरण करेगा । इस दौरान उद्यम-डिप्टीम के अधिकारी एवं कृषकों के जुबों का पूर्ण तर्क करके तथा स्थायित भार के स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे । इस सर्वे के दौरान कोई अप्रियार के गणने न बनाकर हतबिह-मधि से बड़े जुये भार की स्वीकृति जारी की जाये तथा इस आदेश में उल्लिखित छूट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाये ।

सर्वे में सामने आये तथा स्वीच्छक घोषित दोनों प्रकार के मामलों 15 दिवस के भीतर निश्चयित किये जायें तथा अपने निश्चय माह से बड़े जुये भार के बिल जारी होना सुनिश्चित किया जाये । दिनांक-31, दिसम्बर, 2000 तक प्राप्त जुये सभी मामलों में सहायक अभियन्ता भार पृष्टि स्वीकृत करने के लिए प्राप्ति रहेगा । दिसम्बर, 31, 2000 के पश्चात् यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी । इस विधि के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा स्वयं लोड बढ़ाने के आवेदन पर सम्पूर्ण लाईन के भारी चार्ज तथा 1450/- रुपये प्रति घंटे-मातर के हिसाब से चार्ज किये

लगातार ५०- २.....

Voluntary disclosure of enhanced increased load :

॥ 2 ॥

जायेंगे । विजिलेन्स डेविंग में अधिक लोड पाये जाने पर बड़े बुरे लोड के लिए 2950/- रुपये प्रति टार्स-मावर एवं सम्पूर्ण लार्डन वार्जेज लिए जायेंगे ।

4. (101)

॥ करणी सिंह राठौड़ ॥
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
अजमेर विद्युत वितरण नि० लि०, अजमेर.

प्रतिलिपि वास्ते सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता ॥, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, -----
2. अधीक्षक अभियन्ता ॥, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, -----

(जयबहादुर सिंह) 11-10-2k
॥ जयबहादुर सिंह ॥
सहायक लेखाधिकारी